

मुख्य परीक्षा

भू-राजनीति ने भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति को किस प्रकार प्रभावित किया है?

संदर्भ

- पश्चिम एशिया पर निर्भरता से मुक्त होकर, भारत ने अफ्रीका और अमेरिका में विविधीकरण की ओर कदम बढ़ाया। 2022 से, यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद कम कीमतों के कारण रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।
 - हालांकि, हाल के आंकड़ों (अक्टूबर 2025) से पता चलता है कि भारत ने रूस से तेल आयात में 38% की कटौती की है, जो भू-राजनीतिक दबाव, प्रतिबंधों के जोखिम और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच पुनर्संतुलन का संकेत है।

भारत में कच्चे तेल के आयात का हालिया परिदृश्य -

- **2005 से पूर्व:** कच्चे तेल आयात का 70% से अधिक पश्चिम एशिया से।
 - प्रमुख आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात थे।
- **2005-2015: निम्न क्षेत्रों से आपूर्तिकर्ताओं का प्रवेश:**
 - **अफ्रीका:** नाइजीरिया, अंगोला
 - **दक्षिण अमेरिका:** वेनेजुएला
 - फिर भी, 2011-12 में पश्चिम एशिया का आयात में हिस्सा 60% से अधिक रहा।
- **ईरान प्रतिबंध चरण (2010-2019):** ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत की आपूर्ति व्यवस्था को बाधित किया।
 - ईरान का हिस्सा ~11% (2011-12) से घटकर 2019-20 तक लगभग शून्य हो गया।
 - भारत ने इसकी भरपाई संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से आयात बढ़ाकर की।
- **वर्तमान अनुमानित आयात संरचना:** रूस: ~33%, मध्य पूर्व: 40-45%, अफ्रीका: 8-10%, अमेरिका क्षेत्र: 10-12%

भारत की कच्चे तेल की आयात रणनीति के प्रमुख मुद्दे -


- **भूराजनैतिक संवेदनशीलता:** राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (पश्चिम एशिया, रूस) पर अत्यधिक निर्भरता।
 - प्रतिबंध (ईरान, रूस) भारत को बाह्य नीतिगत झटकों के प्रति उजागर करते हैं।
- **अत्यधिक संकेंद्रण का जोखिम:** रूसी कच्चे तेल पर एक-तिहाई निर्भरता आपूर्ति संकेंद्रण का जोखिम उत्पन्न करती है, जो पूर्व में पश्चिम एशिया पर निर्भरता के समान है।
- **प्रतिबंध एवं वित्तीय जोखिम:** द्वितीयक प्रतिबंधों के प्रति जोखिम, शिपिंग बीमा संबंधी बाधाएँ, भुगतान एवं बैंकिंग प्रतिबंधों का सामना।
- **ऊर्जा मुद्रास्फीति का जोखिम:** रियायती रूसी कच्चे तेल के स्थान पर अधिक महंगे विकल्पों से प्रतिस्थापन के कारण ईंधन कीमतों में वृद्धि, ईंधन मुद्रास्फीति तथा रिफाइनरी मार्जिन में संकुचन हो सकता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाम वैश्विक दबाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों के साथ रणनीतिक स्वायत्तता का संतुलन बनाए रखना जटिल बना हुआ है।
- **आयात निर्भरता:** भारत अपने कच्चे तेल की 85% से अधिक आवश्यकता आयात करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा संरचनात्मक रूप से कमजोर बनी रहती है।

आगे की राह -

- **स्रोत विविधीकरण को गहन करना:** किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु अफ्रीका, अमेरिका क्षेत्र तथा नए ऊर्जा भागीदारों से आयात का विस्तार करना, ताकि संतुलित कच्चा तेल आयात टोकरी सुनिश्चित हो सके।

- **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) का विस्तार:** आपूर्ति व्यवधानों, प्रतिबंधों एवं मूल्य झटकों से निपटने के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।
- **लचीली खरीद रणनीति अपनाना:** स्थिरता के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों को स्पॉट मार्केट से खरीद के साथ संयोजित करना, जिससे मूल्य लाभ का उपयोग हो सके और अस्थिरता का प्रबंधन किया जा सके।
- **ऊर्जा संक्रमण में तेजी:** जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, जैव ईंधन एवं हरित हाइड्रोजन को विस्तार देकर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना।
- **घरेलू उत्पादन एवं रिफाइनरी क्षमता का सुदृढ़ीकरण:** घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन को बढ़ावा देना तथा विभिन्न श्रेणियों के कच्चे तेल के प्रसंस्करण हेतु रिफाइनरियों का उन्नयन करना, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता में वृद्धि हो।

स्रोत: [द हिंदू](#)



प्रारंभिक परीक्षा

रक्षा अधिग्रहण परिषद

संदर्भ

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹79,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति (AoN) को मंजूरी दे दी।

प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी -

- **भारतीय सेना के लिए:** लोइटर म्युनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार (एलएलएलडब्ल्यूआर), लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एम्युनिशन (पिनाका एमआरएलएस), इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (आईडीडी एंड आईएस) एमके-II
- **भारतीय नौसेना के लिए:** बोलाड पुल (बीपी) टग, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाईंड रेडियो (एचएफ-एसडीआर) मैनेजमेंट, एचएलई आरपीएस (हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन) की लीजिंग
- **भारतीय वायु सेना के लिए:** स्वचालित टेक-ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्र एमके-II बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एलसीए तेजस के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर, स्पाइस-1000 लॉन्ग रेंज गाइडेड किटा।

कार्य

- रक्षा बलों के लिए 15-वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (LTIPP) का अनुमोदन करना।
- अधिग्रहण प्रस्तावों को 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान करना।
- अधिग्रहण प्रस्तावों को 'खरीदें' (Buy), 'खरीदें और बनाएं' (Buy & Make), एवं 'बनाएं' (Make) श्रेणियों में वर्गीकृत करना।
- एकल विक्रेता मंजूरी (single vendor clearance) से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।
- 300 करोड़ रुपये से अधिक के अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए 'ऑफसेट' प्रावधानों पर निर्णय लेना।
- 'खरीदें और बनाएं' श्रेणी के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) पर निर्णय लेना।
- फील्ड ट्रायल (क्षेत्र परीक्षण) मूल्यांकन की निगरानी करना।

स्रोत: [इकोनॉमिक टाइम्स](#)

रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में -

दृष्टिकोण	विवरण
यह क्या है?	खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय।
अध्यक्ष	रक्षा मंत्री
सदस्य	चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख।
उद्देश्य	सशस्त्र बलों के लिए शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना।
गठन	कारगिल युद्ध के बाद, 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद, 2001 में इसका गठन किया गया था।

'सजा के निलंबन' पर कानून

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत दे दी थी।
- मुख्य विवाद आजीवन कारावास के मामले में सजा के निलंबन और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत "लोक सेवक" (public servant) की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है।

'लोक सेवक' की परिभाषा -

- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 (धारा 21): "लोक सेवक" की परिभाषा में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट,

सरकारी अधिकारी, सशस्त्र बलों के कार्मिक, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति आदि सम्मिलित हैं।

- इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद/विधायक) सम्मिलित नहीं हैं।
- **पॉक्सो अधिनियम, 2012: “लोक सेवक” की परिभाषा प्रदान नहीं करता है।**
 - धारा-2(2) के अनुसार, जिन शब्दों की परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है, वे भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से अर्थ ग्रहण करेंगे। अतः **IPC की परिभाषा लागू होती है → विधायक बाहर रखे जाते हैं।**
- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (धारा 2(c)):** किसी भी ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करता है जो सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु कोई पद धारण करता हो, तथा इसमें स्पष्ट रूप से सांसदों और विधायकों को शामिल किया गया है।

न्यायिक स्पष्टता -

- **आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले (1984)** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि **IPC की धारा-21 के अंतर्गत विधायक (MLAs) “लोक सेवक” नहीं हैं।**
 - जब तक कानून अनुमति न दे, तब तक न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) की परिभाषा को IPC/पॉक्सो (POCSO) में शामिल नहीं कर सकते।

सजा के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख -

- **निश्चित अवधि की सजाएँ:** सजा का निलंबन सामान्य नियम है, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ न हों। (भगवान राम शिंदे गोसाई बनाम गुजरात राज्य, 1999)
- **आजीवन कारावास / गंभीर अपराध:** सजा का निलंबन अपवाद है, नियम नहीं। इसके लिए कठोर परीक्षण आवश्यक है।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रमुख **परीक्षण:** अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अपराध के निष्पादन का तरीका, पीड़ित एवं

समाज पर प्रभाव, अपील में दोषमुक्ति की संभावना, भयादोहन या स्वतंत्रता के दुरुपयोग का जोखिम।

● हालिया स्पष्टीकरण:

- आजीवन कारावास के मामलों में केवल दीर्घकालीन कारावास सजा निलंबन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। (शिवानी त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024)
- सजा का निलंबन केवल तभी उचित है जब विचारण निर्णय में कोई प्रत्यक्ष या गंभीर त्रुटि हो, जिससे अपील में दोषमुक्ति की वास्तविक संभावना परिलक्षित होती हो। (छोटेलाल यादव बनाम झारखंड राज्य, 2025)
- पॉक्सो मामलों में, पीड़ित की अल्पायु (नाबालिग होने) जैसे निष्कर्षों को सजा निलंबन के चरण पर सहजता से अस्थिर नहीं किया जा सकता। (जमना लाल बनाम राजस्थान राज्य, 2025)

स्रोत: [द हिंदू](#)

अमोनियम सल्फेट

संदर्भ

ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में वार्षिक PM2.5 प्रदूषण में द्वितीयक एरोसोल का योगदान कम से कम एक तिहाई है। इनमें से अकेले अमोनियम सल्फेट ही दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।

अमोनियम सल्फेट (वायु प्रदूषक के रूप में) क्या है?

- अमोनियम सल्फेट एक द्वितीयक अकार्बनिक एरोसोल है, जो सीधे किसी भी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होता है।
- यह वायुमंडल में तब बनता है जब:
 - सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) ऑक्सीकृत होकर सल्फेट बनाता है, और
 - सल्फेट हवा में मौजूद अमोनिया (NH₃) के साथ अभिक्रिया करता है।
- इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न कण महीन (PM2.5) होते हैं, कई दिनों तक हवा में बने रहते हैं, लंबी दूरी तय

करते हैं और फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।

- चूंकि यह द्वितीयक है, इसलिए धूल या यातायात जैसे दृश्य स्रोतों को नियंत्रित करने मात्र से इसकी सांद्रता में तत्काल कमी नहीं आती है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

कोल्लेरू झील

संदर्भ

कोल्लेरू झील अब अपनी स्वादिष्ट काली सूखी मछली के लिए पहचान बना रही है।

कोल्लेरू झील के बारे में -

- अवस्थिति: आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है।
- जल: मुख्य रूप से बुडामेरू और तम्मिलरू नदियों से जल प्राप्त होता है।
- प्रकार: मीठे पानी की झील।
- अंतर्राष्ट्रीय स्थिति: अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि (2002) के रूप में नामित।
- पारिस्थितिक महत्व: मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करती है, जो प्रवासी पक्षियों की बड़ी आबादी का समर्थन करती है।

स्रोत: [ईटीवी भारत](#)

वैकल्पिक आर्द्रन और शुष्कन

(Alternate Wetting and Drying-AWD)

संदर्भ

वैकल्पिक आर्द्रन और शुष्कन(AWD) को एक "कम-प्रयास, उच्च-प्रभाव" वाली जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धति के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, जो विशेष रूप से भारत में लघु और सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त है।

AWD क्या है?

- वैकल्पिक आर्द्रन और शुष्कन(AWD) जल-कुशल सिंचाई की एक तकनीक है जिसका उपयोग निचले क्षेत्रों की (धान) चावल की खेती में कुल जल की खपत को कम करने के लिए किया जाता है।

- AWD के अंतर्गत, खेत में निरंतर जलभराव बनाए रखने के बजाय, स्थिर पानी के समाप्त होने के कुछ दिनों बाद सिंचाई की जाती है।
- इसके परिणामस्वरूप खेतों में समय-समय पर जलभराव किया जाता है और फिर उन्हें सूखने दिया जाता है।
- सिंचाई के बीच शुष्क अवधि मिट्टी के प्रकार और खेत की परिस्थितियों के अनुसार 1 दिन से लेकर 10 दिनों से अधिक तक हो सकती है।
- कुछ क्षेत्रों में, घुटने तक ऊंची धान की फसल पर जैविक उर्वरकों के छिड़काव हेतु बड़े ड्रोन का उपयोग किया जाता है, जो AWD-आधारित कृषि पद्धतियों को समर्थन प्रदान करता है।

● AWD के लाभ:

- अवायवीय परिस्थितियों में कमी के कारण मीथेन उत्सर्जन कम होता है, जिससे यह पर्यावरण-अनुकूल बनती है।
- उर्वरक अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग से श्रम लागत में कमी आती है।
- सटीक कृषि (Precision Farming): उर्वरकों का सटीक उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे अत्यधिक प्रयोग की रोकथाम होती है।
- जलवायु लाभ: नाइट्रोजन के अत्यधिक प्रयोग से बचाव होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड (एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस) के उत्सर्जन का कारण बन सकता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य

संदर्भ

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (SEZ) घोषित किया है।

पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य के बारे में -


- अवस्थिति: गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश।
- स्थापना: 23 मई 1990 को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया।
- रामसर स्थिति: 2019 में रामसर आर्द्रभूमि (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) के रूप में नामित।

- **भूगोल:** यह लगभग 10.84 वर्ग किमी (1,084 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें दो आपस में जुड़ी हुई ऑक्सबो झीलें शामिल हैं - पार्वती ताल और अर्गा ताल, जो गंगा के मैदानी इलाकों के तराई क्षेत्र में एक पुराने नदी मार्ग से बनी हैं।
- **जीव-जंतु:**
 - 150 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें स्थायी (रेजिडेंट) तथा प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षी शामिल हैं।
 - प्रवासी पक्षी प्रत्येक शीत ऋतु में साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं।
 - इसमें ग्रेलैंग गूज़, नॉर्दर्न पिंटेल, कॉटन टील, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, यूरेशियन कूट और मल्लार्ड जैसे जलपक्षी शामिल हैं।
 - **संकटग्रस्त प्रजातियाँ:** यह क्षेत्र IUCN-सूचीबद्ध कई गिद्ध प्रजातियों का आवास है, जैसे कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय व्हाइट-रम्पड गिद्ध एवं भारतीय गिद्ध, तथा संकटग्रस्त मिस्री गिद्ध।
 - **अन्य वन्यजीव:** स्थलीय जीव-जंतुओं में सियार, नीलगाय और जंगली सूअर भी पाए जाते हैं।

स्रोत: [न्यूज़ऑनएयर](#)

समाचार में व्यक्तित्व

श्रीमंत शंकर देव



समाचार? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के नगांव जिले में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली, बटाद्रवा थान की पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया।

श्रीमंत शंकर देव के बारे में -

- 15वीं-16वीं शताब्दी के एक असमिया बहुश्रुत (polymath) और असम के इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक।
- एक संत-विद्वान, कवि और नाटककार, नर्तक, अभिनेता, संगीतकार और कलाकार, तथा सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक के रूप में प्रसिद्ध
- योगदान:
 - पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को व्यवस्थित किया और नई कलात्मक विधाओं की शुरुआत की, जिनमें शामिल हैं
 - बोरगीत – शास्त्रीय भक्ति संगीत
 - अंकिया नाट्य और भावना – एकांकी धार्मिक नाटक और नाट्य प्रदर्शन
 - सत्रिया – भारत का एक शास्त्रीय नृत्य रूप
 - ब्रजावली – भक्ति साहित्य में प्रयुक्त एक साहित्यिक भाषा
 - उन्हें आधुनिक असमिया समाज का जनक माना जाता है।
 - उन्होंने एकशरण धर्म (भागवत वैष्णववाद) का प्रतिपादन किया, जो एक एकेश्वरवादी भक्ति आंदोलन था
 - आंदोलन ने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया: कोच साम्राज्य, अहोम साम्राज्य।
 - उन्होंने जोर दिया:
 - कर्मकांडीय मूर्ति पूजा के स्थान पर नाम (कीर्तन और प्रार्थना) पर
 - मुक्ति के मार्ग के रूप में भक्ति पर
 - असम में भक्ति आंदोलन को प्रेरित और आकार दिया।
 - सिद्धांत का समर्थन किया: "एक देव, एक सेव, एक बिने नाहि केवा" (एक ही ईश्वर है, पूजा का एक ही रूप है, और उनके अतिरिक्त कोई और भक्ति के योग्य नहीं है)।

स्रोत: [पीआईबी](#)